राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 12(5) ग्रावि/नरेगा/बजट घोषणा/2010 पार्ट–1 जयपुर, दिनांक : 13 MAR 2013

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषयः **महात्मा गांधी नरेगा योजना में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करने के कम में।**

प्रसंगः **इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 26.12.12 एवं पत्र कमांक एफ 10(9) ग्रावि/नरेगा/सहायक कार्यकम अधि./2010/पार्ट–1 दिनांक 31.01.2013, समसंख्यक पत्र दिनांक 15.02.2013 एवं 04.03.2013**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्यरत संविदा कार्मिकों को अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं। राजस्थान महात्मा गांधी नरेगा संविदा कार्मिक संघ ने अवगत कराया है कि जिला स्तर पर 100 दिन से अधिक रोजगार की वसूली का आधार एमआईएस फीडिंग को माना है, जबकि किसी परिवार के विघटन के उपरांत उनके अलग–अलग जॉब कार्ड बनाये गये हैं। ऐसे जॉब कार्ड में उसी एमआईएस नम्बर को ए, बी, सी करते हुए इन्द्राज किया गया है। मस्टररोल फीडिंग के समय पूर्व के एमआईएस नम्बर पर फीडिंग कर दिये जाने के कारण उक्त जॉब कार्ड पर 100 दिन से अधिक का रोजगार का विवरण प्रदर्शित हो गया। 100 दिन से अधिक का रोजगार प्रदर्शित हो जाने के कारण संबंधित संविदा कार्मिकों से वसूली की जा रही हैं, जो उचित नहीं है। संविदा कार्मिक संघ ने यह भी अवगत कराया है कि जिला स्तर पर अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करने में काफी विलम्ब हो रहा है। इससे कार्मिकों को आवेदन पत्र भरने में विलम्ब होने की सम्भावना है।

इस संबंध में विभाग के पत्र दिनांक 04.03.2013 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि कतिपय मामलों में बकाया राशि वसूल कर अनुभव प्रमाण–पत्र जारी कर दिया जावे। यदि बकाया निकाली गई वसूली गम्भीर प्रकृति की है तथा उसकी मात्रा भी अधिक है तो ऐसे प्रकरणों में प्रकरणवार ध्यानपूर्वक अध्ययन कर निर्णय लिया जावे। इस संबंध में यह और निर्देश दिये जाते हैं कि :–

1. किसी भी संविदा कार्मिक द्वारा उनके विरूद्ध निकाली गई बकाया राशि के विरूद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण का अविलम्ब ध्यानपूर्वक विस्तृत परीक्षण किया जावे। संबंधित कार्मिक को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जावे। यदि संबंधित कार्मिक के विरूद्ध बकाया निकाली गई राशि सही पाई जाती है तो उसे सूचित कर दिया जावे तथा राशि जमा कराने पर ही अनुभव प्रमाण–पत्र जारी किया जावे। यदि बकाया निकाली गई राशि परीक्षण के दौरान सही नहीं पाई जाती है तो उसे निरस्त कर प्रार्थी को सूचित करते हुए अनुभव प्रमाण–पत्र जारी किया जावे। ऐसे प्रकरणों का निस्तारण 3 दिवस के भीतर किया जावे।

2. यह भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करने में विलम्ब किया जा रहा है। अब तक बहुत कम संख्या में अनुभव प्रमाण–पत्र जारी हुए हैं। कनिष्ठ लिपिक भर्ती की अन्तिम तिथि नजदीक आती जा रही है। अतः यह आवश्यक है कि अनुभव प्रमाण–पत्र शीघ्र जारी किये जावें। यह भी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक संविदा कार्मिक के अनुभव प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के आवेदन पर निर्णय हर परिस्थिति में कनिष्ठ लिपिक की भर्ती की अन्तिम तिथि से पूर्व किया जावे।

भवदीय,

(सी.एस. राजन)
अति. मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
5. अति. आयुक्त प्रथम/द्वितीय, ईजीएस जयपुर।
6. परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस, जयपुर।
8. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

अति. आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस